(भारत के राजपत्र के भाग -। खण्ड -। में प्रकाशन के लिए)
सं॰ एफ, 9-31/2006-यू-3(ए)
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उचतर शिक्षा विभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
नई दिल्ली, 3 मई 2008

अधिसूचना

जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर किसी उच्चतर अध्ययन संस्था को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम, 1956 के तहत समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि श्री सिद्धार्थ एजुकेशन सोसायटी, सिद्धार्थनगर, जिला तुमकुर, कर्नाटक से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम,1956 की धारा 3 के तहत श्री सिद्धार्थ अकादमी आफ हायर एजुकेशन को समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने के लिए जून, 2006 में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

3. और जबकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उक्त प्रस्ताव की जांच की है ओर दिनांक 14 मार्च, 2008 के पत्र संख्या एफ- 26-4/2007 (सीपीपी)-।/डीयू के द्वारा श्री सिद्धार्थ अकादमी आफ हायर एजुकेशन तुमकुर कर्नाटक को जिसमें (1) श्री सिद्धार्थ मेडिकल कालेज और (।।) श्री सिद्धार्थ डेन्टल कालेज, 'समविश्वविद्यालय' का दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की है।

4. अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उपरोक्त सिफारिशों पर एतदद्वारा श्री सिद्धार्थ अकादमी आफ हायर एजुकेशन सिद्धार्थनगर, जिला तुमकुर कर्नाटक जिसमें श्री सिद्धार्थ मेडिकाल कलोज, अगालकोट, तुमकुर और (।।) सिद्धार्थ डेन्टल कलोज, अगालकोट, तुमकुर के उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित करती है। यह उस तिथि से प्रभावी से होगी जिस तिथि से उक्त कालेज स्वयं को अपने संबंधित विश्वविद्यालयों अर्थात् राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर असंबद्ध कर लेगा।

5. उपर्युक्त पैरा 4 में की गई उद्घोषणा इस शर्त के अधीन है जिसका उल्लेख इस अधिसूचना के पृष्ठांकन के कम संख्या 6 में है।

6. न तो भारत सरकार और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग श्री सिद्धार्थ अकादमी आफ हायर एजुकेशन को कोई योजनेत्तर और योजनागत सहायता अनुदान प्रदान करेंगे।

(सुनिल कुमार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय
फरीदाबाद (हरियाणा)

....2/-

प्रति अग्रेषितः

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002.
2. अवर सचिव (एम.ई.-पी.II), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग), निर्माण भवन, नई दिल्ली-110001
3. सचिव, भारतीय मेडिकल परिषद, पाकेट-14 सेक्टर-8 द्वारका फेस-1 कोटला रोड, नई दिल्ली-110075.
4. सचिव, भारतीय दंत परिषद, अवान-ए-गालिब मार्ग, कोटला रोड, नई दिल्ली-110075.
5. निदेशक, दूरस्थ शिक्षा परिषद, इग्नू, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली।
6. प्रबंधन न्यासी एवं अध्यक्ष, श्री सिद्धार्थ अकादमी आफ हायर एजुकेशन, सिद्धार्थ नगर, तुमकुर, तालुक, तुमकुर जिला, कर्नाटक-572102. इस अधिसूचना के पैरा 4 में की गई घोषणा निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर कार्यान्वित की जाएगी।

(I) श्री सिद्धार्थ मेडिकल कालेज, और सिद्धार्थ डेन्टल कालेज का प्रबंधन कानूनी रूप से श्री सिद्धार्थ अकादमी आफ हायर एजुकेशन में निहित होगा जो कि 'समविश्वविद्यालय' स्तर के कार्यों के प्रबंध के लिए सृजित सोसायटी है।

(II) श्री सिद्धार्थ मेडिकल कालेज और श्री सिद्धार्थ डेन्टल कालेज की सभी चल और अचल परिसंपत्तियाँ समविश्वविद्यालय संस्था के प्रबंध हेतु निर्मित न्यास में भी कानूनी रूप से निहित होगी और छात्रों, संकाय के सदस्यों और कर्मचारियों के हित में और उच्चतर शिक्षा के मानकों के रखरखाव के लिए पंजीकृत किया जाएगा।

(III) विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था के लेखों की जांच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा के लिए खुली होगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पूर्व अनुमति के बिना न्यास तथा संस्थाओं की परिसंपत्तियों को अंतरित नहीं किया जाएगा।

(iv) न्यास सम विश्वविद्यालय संस्थाओं के उद्देश्य, शैक्षिक और संबंधित सामाजिक और धर्मार्थ कार्यकलापों तक सीमित होगें न्यास और संबंधित संस्थाएं किसी भी ऐसे कार्य को आरंभ नहीं करेगी जो व्यापारिक या लाभ कमाने वाले होंगे।

(v) जब भी आवश्यकता हो,श्री सिद्धार्थ अकादमी आफ हायर एजुकेशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुमोदन से अपने संगम-ज्ञापन/नियमों में उपयुक्त संशोधन करेगा तथा अद्यतन बनाएगा। भारत सरकार अथवा/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सुझाए गए, विशिष्ट बदलाव/संशोधन, यदि कोई हो तो, का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुमति से संगम ज्ञापन/नियमों में भी पालन किया जाएगा।

(vi) न्यास के संगम ज्ञापन/नियमों/विनियमों/उप-नियमों में शिक्षण संस्थाओं के जो समविश्वविद्यालय संस्था के भाग है, के नाम का उल्लेख किया जाए जैसे श्री सिद्धार्थ मेडिकल कालेज और श्री सिद्धार्थ डेन्टल कालेज।

(vii) संबंधित न्यास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डों के अनुसार कारपस निधि रखेगा और उक्त निधि अपरिवर्तनीय स्वरूप की होगी।

(viii) सम विश्वविद्यालय संस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले कार्यक्रम संबंधित सांवधिक परिषदों जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय दंत परिषद द्वारा निर्धारित मानकों एवं मानदण्डों के अनुरूप होंगे। यह ऐसी कोई भी डिग्री या डिग्रियां प्रदान नहीं करेगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं हैं वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्रियों आदि की नामावली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित हो।

(ix) श्री सिद्धार्थ अकादमी आफ हायर एजुकेशन डाक्टोरल कार्यक्रम शुरू करने और अपने अनुसंधान कार्यक्रमों/कार्यकलापों को सुदृढ़ करने के लिए भी तत्काल कार्रवाई करेगा।

(x) श्री सिद्धार्थ अकादमी आफ हायर एजुकेशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय दंत परिषद और अन्य सांविधिक परिषदों, जैसा भी मामला हो, के मानदण्डों के अनुसार नया शैक्षिक पाठ्यक्रम शुरू करेगा।

(xi) श्री सिद्धार्थ मेडिकल कालेज और श्री सिद्धार्थ डेन्टल कालेज के संबंध में केवल सम विश्वविद्यालय बनने के बाद उन्हीं छात्रों को डिग्रियां प्रदान करेगा जो इस अधिसूचना की तारीख के बाद उसमें दाखिल हुए थे। तदनुसार यह अपने तहत इन दोनों कालेजों द्वारा, आयोजित अध्ययन के पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में छात्रों का दाखिला केवल आगामी वर्ष (अर्थात् 2008-2009) के लिए करेगा।

(xii) इस अधिसूचना की तारीख से पहले श्री सिद्धार्थ मेडिकल कालेज और सिद्धार्थ डेन्टल कालेज के ऐसे छात्र जो वहां पहले ही दाखिला ले चुके थे, वे अपने अध्ययन पाठ्यक्रमों को संबंधित संबद्धन विश्वविद्यालय जैसे राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलौर के नामांकन और संबंद्धन में अपने पाठ्यक्रम जारी रखेंगे जो उनके लिए परीक्षाएं आयोजित करेगा और इस समय उक्त कालेजों में कर रहे अध्ययन के पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात् उन्हें डिग्रियां प्रदान करेगा।

(xiii) श्री सिद्धार्थ अकादमी आफ हायर एजुकेशन को किसी भी शिक्षण संस्था को सम्बद्ध करने की अनुमति नहीं है।

(xiv) श्री सिद्धार्थ अकादमी ऑफ हायर एजूकेशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिनांक 12 मार्च, 2007 के अपने परिपत्र सं. एफ 6/1(7)/2006 (सीपीपी-I) द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार अपने सभी शैक्षिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को राष्ट्रीय मूल्यांकन तथा प्रत्यायन परिषद तथा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा वैद्य प्रत्यायन के लिए सभी आवश्यक प्रयास करेगा।

(xv) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा दूरस्थ शिक्षा परिषद के पूर्व अनुमोदन के बिना श्री सिद्धार्थ अकादमी ऑफ हायर एजूकेशन कोई दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा। दूरस्थ पद्धति के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के संबंध में दूरस्थ शिक्षा परिषद तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दोनों द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का इसके द्वारा अनुपालन किया जायेगा।

(xvi) श्री सिद्धार्थ अकादमी ऑफ हायर एजूकेशन, जैसा भी मामला हो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/भारत सरकार के अपेक्षित पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना कोई अध्ययन केन्द्र/विस्तार केन्द्र/ बाह्य परिसर केन्द्र /विदेश में बाह्य परिसर शुरू तथा संचालित नहीं करेगा।

(xvii) संबद्ध सांविधिक परिषदों जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय डेन्टल परिषद इत्यादि और छात्रों के दाखिले, छात्रों की दाखिला क्षमता, नए पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को शुरू करने, पाठ्यक्रमों के अनुमोदन के नवीनीकरण इत्यादि के लिए निर्धारित मानदण्डों और प्रक्रियाओं को लागू करना जारी रखा जाएगा और श्री सिद्धार्थ अकादमी आफ हायर एजुकेशन द्वारा इनका अनुपालन किया जाएगा।

(xviii) श्री सिद्धार्थ एजुकेशन सोसायटी एण्ड श्री सिद्धार्थ अकादमी आफ हायर एजुकेशन ट्रस्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत दर्जा प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ और इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत आश्वासनों को पूरा करेगा।

(xix) श्री सिद्धार्थ अकादमी आफ हायर एजुकेशन, चिकित्सा कालेज और दंत कालेज दोनों के मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की विशेषज्ञ समिति द्वारा किए गए अवलोकनों/सुझावों

का कार्यान्वयन करने में तत्काल कदम उठाएगी ताकि कमियों को दूर किया जा सके तथा सिफारिश किए गए सुधार किए जा सके।

(xx) श्री सिद्धार्थ अकादमी आफ हायर एजुकेशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य विधिक परिषदो जैसे एम सी आई/ डी सी आई आदि द्वारा यथानिर्धारित सभी मानकों और दिशा निर्देशों का अनुपालन करेगी जैसा कि सम विश्वविद्यालय के रुप में अधिसूचित संस्थाओं पर लागू होता है।

(xxi) श्री सिद्धार्थ अकादमी आफ हायर एजुकेशन, अपनें सभी विज्ञापनों, सार्वजनिक सूचना पत्राचार आदि अपनी नामावली के आगे ब्रेकिट में एक लाईन सभाविष्ट करेगा जिसे "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत सम विश्वविद्यालय के रुप में धोषित" पढ़ा जाएगा।

7. रजिस्ट्रार, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, चौथा टी. ब्लॉक, जयनगर, बंगलौर-586041, कर्नाटक। विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा है कि वह अपने दिनांक 25.02.08 की पत्र संदर्भ सं. एयूटीयू/ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग /डीयू/ एसएस एम सी-तुमकर 254/2007-08 के माध्यम से दिए गए आश्वासन के अनुसार श्री सिद्धार्थ मेडिकल कालेज, अगालकोट तुमकर और श्री सिद्धार्थ डेन्टल कालेज, अगालकोटे तुमकर के छात्रों जो इस समय इसके अन्तर्गत नामांकित हैं के संबंध में पृष्ठांकन 6 (xii) के अनुसरण में कार्रवाई करेगा।
   (सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को संबोधित)
8. प्रधान सचिव, कर्नाटक सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग, कर्नाटक सरकार सचिवालय, विधान सौध, बंगलौर-560001
9. सचिव, कर्नाटक सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (मेडिकल शिक्षा), कर्नाटक सरकार सचिवालय, विकास सौंध, डॉ. बी आर. अम्बेडकर रोड, बंगलौर-560001
10. निदेशक, मेडिकल शिक्षा, आनन्द रोड, सर्कल, बंगलौर-560009
11. सचिव, श्री सिद्धार्थ एजुकेशन सोसाइटी, सिद्धार्थ नगर पोस्ट, तूमकर जिला 572102, कर्नाटक
12. प्रिंसिपल श्री सिद्धार्थ मेडिकल कालेज, बी एच रोड, अगालकोट, तुमकर जिला, कर्नाटक-572107
13. प्रिंसिपल, श्री सिद्धार्थ डेन्टल कालेज, बी एच0 रोड, अगालकोट, तुमकर-572107, कर्नाटक
14. प्रेस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
15. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ए.आई.यू टाउस, 16 कोटला मार्ग, नई दिल्ली-02
16. निदेशक (प्रशासन) एवं बेव मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे सी.एम.आई.एस.ईकाई को उच्चतर शिक्षा विभाग के बेवसाइट पर इस अधिसूचना को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक निर्देश दें।
17. गार्ड फाइल/अधिसूचना फाईल।

उपमन्यु बसु

(उपमन्यु बसु)

निदेशक